

# दावते चहलुम

आला हजरत इमाम-ए-अहले सुन्नत  
इमाम अहमद रजा  
रदियल्लाहो तआला अन्हो



रजा एकेडमी मुंबई-3

सुक्म व चहलुम वगैरा में आम दावत  
का शरई हुक्म

● यानी ●

جَلَّى الصَّوْتِ لِنَهْيِ الدَّعْوَةِ أَمَامَ الْمَوْتِ

का हिन्दी तरजमा

१९५०

# दावते चहलुम

: तसनीफ :

आला हजरत इमाम अहमद रजा खाँ  
फाजिले बरेलवी

-: वफैज :-

हुज़ूर मुफ्ति ए अज़म हज़रत अल्लामा शाह  
मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी नूरी (अलैहिर्रहमा)

नाशिर :

## रज़ा एकेडमी

२६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-३.

फोन नं.: ३७३७६८९-३७०२२९६

(जुमला हुकूम महफूज है)

सिलसिलए इशाअत नं. २४८

किताब	:	दावते चहलुम
लेखक	:	आला हजरत इमाम अहमद रज़ा र्घाँ
तरजमा	:	मुहम्मद फारूक र्घाँ अशरफ़ी रिजवी
पहला एडिशन	:	१९९९
तादाद	:	
हदिया	:	
नाशिर	:	रज़ा एकेडमी, २६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-४०० ००३.

रज़ा एकेडमी ने  
सरकार अअूला हज़रत के १०० रिसालों  
का सेट (उर्दू) में

एक साथ शाय़ा करने का शरफ़ हासिल किया है। ज़रूरत मंद हज़रत

फ़ारूक़िया बुक डिपो

४२२, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, दिल्ली - ६  
से राबता क्राएम करें।

मस्लके अअूला हज़रत पर मज़बूती से क्राएम रहिए यही सिराते  
मुस्तक़ीम है। मस्लके अअूला हज़रत को समझने के लिए इमाम  
अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी की किताबों का मुतलआ कीजिए।



# मुजदिददे आजम



अज :- हजरत मौलाना नईमुद्दीन रिजवी साहब (मुबल्लूगे दावते इस्लामी नागपूर)

सरकारे दो जहाँ हबीबे परवरदीगार रसूले करीम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**  
ने इरशाद फ़रमाया -----

अल्लाह तआला इस उम्मत  
के लिए हर सदी के सिरे पर "मुजदिदे  
दीन" भेजता रहेगा ।

(अबूदाऊद शरीफ़, तबरानी शरीफ़ व बयहकी शरीफ़)

क्या आप जानते हैं ? ----- हमारा वोह मुजदिद ! ----- इस  
सदी का मुजदिद ----- !!

येह वोह मुबारक हस्ती है जिसको खुदावेदे कुहुस ने सिर्फ़ दीन की  
हिमायत व अशाअत के लिए इस ज़माने में पैदा फ़रमाया ----- शव्वाल  
1272 हिजरी में जिसकी विलादत हुई -----जिसने सिर्फ़ 8 साल की  
उम्र में **بدايته الغلو** की शरहे लिखी -----दस साल की उम्र में **سُلم**  
**الثبوت** पर हाशिया लिखा ----- जो सिर्फ़ 13 साल की उम्र में मुफ़्ती होकर  
अपने कलम से दुनियाए इल्म व फ़न में अपना लोहा मनवा लेता है  
----- जो मुफ़्ती इरशाद हुसैन साहब रामपूरी ----- **عليه الرحمه** ----- जैसे अज़ीम  
मुफ़्ती का फ़तवा खिलाफ़े हकीकत होने पर ----- **ليس بصواب** -----  
(यानी येह फ़तवा सही नहीं) का फ़ैसला सुनाता है ----- और एैसा तहकीकी  
जवाब लिखता है के उलमा उसके क़लम को खिराजे तेहसीन पेश करते हैं  
----- जिसे 1294 हिजरी में सैयसद शाह आले रसूल मारहरवी **عليه الرحمه**  
की तरफ़ से बैत व खिलाफ़त के साथ येह तमगा अता होता है -----  
"अगर खुदा मुझ से पूछे के अए आले रसूल तू दूनिया से क्या लाया तो मै  
अपने इस ----- मुरीद को पेश कर दूंगा" ----- जब येह शख़्स मक्का  
मुकर्रमा हाज़िर होता है ----- उस के चहरे पर इमामुलवक्त इमामे शाफ़िया  
आरिफ़ बिल्लाह हज़रत हुसैन बिन सालेह, की आँखें जम जाती है ----- और  
वोह पूकार उठते है ----- **"أني لأحد نوراً لله في هذا الحبيب"** ----- (मै इस  
शख़्स की पेशानी से अल्लाह का नूर झलकता पा रहा हूँ) ----- और

इल्म व फ़न के अज़ीम हकीकत शनास पूकार उठते हैं ----- हॉ, हॉ  
गौर से सूनो ----- "أنته وحيد العصر بلا منازعٍ ومجدد هذا القرن بلا إرتياب"

----- (यकीनन यह अज़ीम शख्स है और बेशक यह इस सदी के मुजहिद  
है) ----- जहाँ दूसरो की समझबूझ जबाव दे देती हैं ----- और  
क़लम की रफ़्तार थम जाती है ----- और मजबूरन वोह कह उठते हैं  
----- यह मस्अला हमारे बस का नहीं ----- अभी हमें और गौर व फ़िक्र  
की ज़रूरत है ----- इस मस्अले पर हम गौर कर रहे है ----- और  
फिर गौर ही करते रह जाते है और मस्अला हल नहीं कर पाते ----- उस  
मकाम से यह शख्स अपनी इत्नेदा (शुख्वात) करता है और -----

----- "كفل الفقه الفاهم في احكام قرطاس الداهم" ----- जैसी किताबे लिख  
कर अकाब्रिरे उलमा की आँखे टंडी करता है ----- और दुश्मनों को उनका  
हकीकत नज़र आने लगती है ----- /

बक़ील फ़ितने सर उठाते है ----- तो वोह अपने क़लमी जिहाद से उन्हें  
हमेशा के लिये बे नकाब कर देता है ----- और "مُسَامُ الْحَمِيْن" लिखकर  
उन्हें उनका असली चेहरा दिखा देता है ----- जब रसूल के इल्म पर  
झूटे मक्कार एतराज़ करते है ----- तो "الدولة المكتبة بالمادة الغيبية"  
जैसी 400 सज़े की किताब सिर्फ़ 8 घंटे में लिखकर उन्हें उमेशा के लिये  
खामूश कर देता है ----- देखो, सुनो ----- यह कैसी सदा गुंज रही  
है ----- ع

किल्के रज़ा है खन्जरे खूँखार बर्क बार !

आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे !

क्या अब भी तूमनि न जाना ----- हम बताते हैं -----

सूनो ----- उस शख्स के दादा मौलाना मुहम्मद रज़ा अली ख़ाँ **عليه السلام**  
है जो अपने वक़्त के इमाम थे ----- **مُحَطَّبِ عَلِي** ----- जिनकी मशहूर  
किताब है ----- हॉ, हॉ यह वही शख्स है जिसके वालिद मौलाना नकी  
अली ख़ाँ थे ----- जो मस्नदे शरीअत पर जब रौनक अफ़रोज़ हुए तो  
----- उन्होंने अपने मुबारक अहेद में इल्मी दूनिया पर बड़े बड़े ऐहसान  
किये ----- और अपने बाद दुनिया-ए-इस्लाम की रहनुमाई के लिये अपने  
इस साहबज़ादे को छोड़ा ----- जो इल्म का समन्दर था ----- गर्ज़ के

येह इल्म व हुनर का समन्दर 54 साल तक मौजे लेता रहा ----- और  
 25 सफ़र 1340 हिजरी को जुमा के दिन ऐन अज़ाने जुम्ह बरेली में  
 ----- **سَمِيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** ----- की सदा गुंजी ----- उस शख्स ने  
 अपने रब को **لَيْتِي** कहाँ ----- और दूसरी तरफ़ कच्छोछा मुकद्दसा  
 में ----- शहज़ादाहे सिमना औलादे गौसे आजम शेखूल मशाएख हुसैन  
 बिन अली सरकार अशरफ़ी **عليه السلام** की ज़बान से निकला -----  
 "कुतबुल इरशाद का जनाज़ा फ़रिश्तों के कोंधों पर देख रहा हूँ"-----

उस शख्स को गुज़रे हुए आज तकरीबन 75 साल हो रहें हैं उस  
 अजीम शख्स ने हम कम इल्मों के लिये तकरीबन 55 उलूम व फ़ुनून पर  
 1300 किताबे अपनी यादगार छोड़ी है ----- और आज भी वोह बरेली  
 की सर ज़मीन से हमारी दस्तगीरी कर रहा है ----- क्या तुमने जाना वोह  
 मुजहिद कौन है ---- अब भी नहीं ! ----- हम बताएँ ----- हाँ, हाँ  
 सुनो ----- ब गौर सुनो ----- हमारा मम्दुह ----- हमारा मुजहिद  
 ----- सब का मुजहिद ----- तुम भी कहों और कहते रहो -----  
 हमारा मुजहिद, मुजहिदे आजम ----- इमामे अहले सुन्नत, अज़ीमुल बरकत,  
 इमामुल हुदा, अब्दुल मुस्तफ़ा, आला हज़रत अशशाह इमाम अहमद  
 रज़ा ख़ाँ फज़िले बरेलवी । **رَضِيَ اللهُ التَّوَالِي لَمَّا مَعَهُ**

मुजहिदे आजम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ  
 बरेलवी **رَضِيَ اللهُ التَّوَالِي لَمَّا مَعَهُ** के क़लम का एक अजीम शाहकार  
**بَدَلَةُ التَّوَالِي لَمَّا مَعَهُ** का हिन्दी तरजमा (व तलख़ीस)

**तबरूक़ात के आदाब व**

**फ़ज़ाएल**

एक लाजवाब पेशकश मंज़रे आम पर आ चुकी है आज ही लिजीए  
 तरजमा व तलख़ीस :- मुहम्मद फ़ारूक ख़ाँ अशरफ़ी रिजवी  
 पेशकर रहे हैं - मुक्ताबतुल मदीना, मुंबई

## कुछ किताब के बारे में

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खॉ (رضي الله عنه) -----  
 ने मुसलमानों के दिल में अज़मने मुस्ताफ़ा—(صلى الله عليه وسلم)— का नक्श जमाया ।  
 उनकी किताबों में इश्क़े रसूल का ज़िक्र इस तरह सनाया हुआ है  
 जैसे बदन में रूह । वोह एक आशिके रसूल की हैसियत से जाने पहिचाने  
 जाते हैं । आला हज़रत ने अपनी सैकड़ों किताबों में हुज़ूर (صلى الله عليه وسلم)  
 के मुख्तलिफ़ क़मालात को उजागार किया हैं । वोह मुहब्बते रसूल को ईमान  
 की जान और मुहब्बते औलिया को ईमान की बहार समझते थे ।

इमाम अहमद रज़ा खॉ हर बिदअती और बदअकीदा को काफ़िर व  
 मुशरिक से ज़्यादा खतरनाक समझते थे आला हज़रत अकीदए तौहीद के  
 ज़बरदस्त अलम बरदार थे । आला हज़रत के नज़दीक शरीअत के अलावा  
 तमाम राहें मरदूद और झूटी थी ।

आला हज़रत हर उस शख्स को जो दीन में नई नई बातें दाखिल  
 करता हैं, बिदअती करार देते थे । और उसकी इसलाह की हर मुमकिन  
 कोशिश फ़रमाते । आपने इस मकसद के लिये कई किताबे लिखी उन में से  
 चंद के बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं ।

- 1) जो लोग तरीक़त का नाम लेकर शरीअत के ख़िलाफ़ हरकते करते हैं और  
 शरीअत का मज़ाक उड़ाते हैं उनके ख़िलाफ़ आपने **مقال عرفاء باعنوان**  
**شروع وعلم** नामी किताब लिखी ।
- 2) कब्रों व मज़ारत पर सज़दा-ए-तअज़ीम के ख़िलाफ़ आपने एक ख़ास किताब  
**“الزيادة الزكية لتحريم سجود التحيه”** नामी किताब लिखी ।
- 3) गैर मेहरम पीरो को मेहरम समझकर औरतों का उनके सामने आना आम  
 है आला हज़रत ने इस बिदअत के ख़िलाफ़ **“مروج النجا الخروج النساء”**  
 ----- नामी किताब लिखी ।
- 4) आला हज़रत औरतों के मज़ारते औलिया पर जाने के सख़्त ख़िलाफ़ थे  
 और इसे ना जाइज़ समझते थे इस बारे में आपने **“جمل النور في**  
**نهي النساء عن زيارة القبور”** किताब लिखी ।

5) मुसलमानों में फ़तेहा, सुवम, चहलुल, बरसी वगैरा का रिवाज आम है आला

हज़रत ने इसे जाइज़ करार दिया लेकिन उसमें गैर जरूरी बातों को बे अस्ल और गलत बताया और उसकी इस्लाह के लिये **“الجزء الفاتحة لطيب التعيين”** रिसला लिखा ।

6) मौसीक़ी (Music) के साथ मज़ारों पर क़व्वालियाँ होती हैं उसके नाजाइज़ व हराम होने में **— مسائل سماع —** नामी किताब लिखी ।

7) कब्रों पर लूबान, अगरबत्ती वगैरा जलाने और कब्र पर इत्र वगैर डालने को आपने मना फ़रमाया और इसे माल की बरबादी करार दिया (इस मुत्अल्लिक **“فتاوى رضوية”** का मुत्अला करें)

8) शादियों में जो गैर शरई रस्में होती हैं उसके खिलाफ़ आपने **“هادى الناس”** नामी किताब लिखी ।

गर्ज के इस तरह की सैकड़ो किताबे हैं जो आपने मआशरे की इस्लाह और बिदअतों के रद्द में लिखी ।

जेरे नज़र किताब **— جعل الصوت لى الدعوة امام الموت —**

(दावते चहलूम) मैय्यत के घर में औरतों और मर्दों के जमा हो कर खाने पीने और मैय्यत के घर वालों की तरफ़ से सुवम व चहलुम वगैरा के दिन खाना पका कर दावत करने के खिलाफ़ है ।

येह किताब आला हज़रत ने एक सवाल के जवाब में 1310 हिजरी में यानी आज से 108 साल पहले लिखी थी । इस किताब में सुवम व चहलुम के रोज़ दावत करने के खिलाफ़ अहादीस व उलमा-ए-दीन की किताबों से साबित किया है कि येह हरगिज़ हरगिज़ शरीअत में जाइज़ नहीं । छँ अगर गरीबों और मोहताजों के लिये खाना पकवा कर खिलाए तो कोई हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है ।

आज कल देखा जा रहा है कि लोग सुवम व चहलुम बड़े धुमधाम से करते हैं और कुछ जगह तो लोग बड़े फ़ख़र व गुरुर से कहते भी हैं के फ़ला का चहलुम इल्नी शान व शौक़त से हुआ और समझते हैं कि इससे मुर्दों को ज़्यादा सवाब मिलता है । हालाँकि सवाब तो दूर इस रस्म की इस्लाह



में कोई अस्ल तक नहीं ।

इस किताब का हिन्दी तरजमा इस नियत से कि लोग इसे पढ़ कर

अपनी इस्लाह करें और गैर शरई रस्मों से बचें, पेश किया जा रहा है । नाचीज़ की हमेशा से कोशिश रही है के आला हज़रत की किताब के तरजमे को आसान ढंग में इस अंदाज़ से पेश किया जाए की आला हज़रत का अंदाज़ भी बरकरार रहे और तरजमा भी हो जाए । अगर किसी को कोई खामी नज़र आए तो ज़रूर हमें बताए ताकि गलती को अगले एडिशन में दूर किया जा सके । मुझे उम्मीद है की इस किताब को आप सब अहबाब ज़रूर पसंद फ़रमाएंगे ।

नाचीज़ को दुआओ में याद रखे । मौला तआला हमारी इस अदना सी ख़िदमत को कुबूल फ़रमाए । आमीन ।

नाचीज़

सगे रज़ा

मुहम्मद फ़ारूक खॉ अशरफी रिज़वी

रज़ा एकेडमी मुंबई की एक

**फ़ख़रिया पेशकश**

**कंज़ुल ईमान फ़ी तर्जमतिल कुरआन**

शाया होकर मंज़रे आम पर आचुका है।

हिन्दी लेखन हाजी तौफ़ीक़ रज़वी

पुरुफ़ रीडिंग मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी (बी.ए.)

# جَلِي الصَّوْتِ لَهْمِي الدَّعْوَةَ أَمَامَ الْمَوْتِ

बुलन्द आवाज़

मौत के बाद दावत की मुमानिअत में

## मरअला

क्या फ़रमाते हैं उलमा-ए-दीन इस मरअले में के हिन्दूस्तान के अक्सर शहरो में रस्म हैं कि मैय्यत के रोज़ वफ़ात (मौत) से उस के (यानी मैय्यत के) रिश्तेदार व अकारिब व अहबाब की औरतें मैय्यत के यहाँ जमा होती हैं उस इन्तेज़ाम के साथ जो शादियों में किया जाता है। फिर कुछ दूसरे दिन, अक्सर तीसरे दिन वापस आती हैं, कुछ चालीसवें तक बैठती हैं इस ठैहरने की मुद्दत में औरतों के खाने, पीने, पान छालिया का इन्तेज़ाम अहले मैय्यत (मैय्यत के घर वाले) करते हैं। जिस की वजह से एक बड़ी रकम का बोझ उन पर होता है अगर उस वज़त हाथ खाली हो तो इस ज़रूरत से कर्ज़ लेते हैं यूँ न मिले तो सूदी (बयाज) निकलवाते हैं। अगर न करें तो मतऊन (रूसवा) व बदनाम होते हैं। यह शरअन जाइज़ है या क्यों ?

## अलजवाब

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْسَلَ نَبِيَّتَنَا الرَّحِيمَةَ الْغَفُورَةَ بِالرِّبِّقِ وَالنَّبِيِّ  
وَأَعَدَّ لِلْأُمُورِ فَتْرَةَ الدَّعْوَةِ عِنْدَ الشَّرُورِ دُونَ الشَّرُورِ: صَلَّى اللَّهُ  
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الْكِرَامِ وَفَضَّلَهُ الصَّدُورِ؛

سبحان الله! अए मुसलमान ! यह पूछता है जाइज़ है या क्या ! यूँ पूछ के यह नापाक रस्म कित्नी बुरी और शदीद (सख़्त) गुनाहो, सख़्त बुरी खराबियों पर मुश्तमिल (शामिल) हैं।

1

यह दावत खूद ना जाइज़ व खराब व बुरी बिदअत है। “इमाम अहमद” अपनी मुस्नद और “इब्ने माजा” सुनन में सही सनद (सुबूत) के

साथ हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजाली — रَمِيَّ الشَّرْقَانِيَّ — से रिवायत करते हैं-----

“हम गिरोहे सहाबा (यानी सहाबा का गुरूप) मैय्यत वालो के यहाँ जमा होने और उनके खाने तैयार कराने को मुर्दे का नोहा व मातम समझते थे।” (मैय्यत के घर वालो का खाना पका कर खिलाना) जिस के मना होने पर बहुत सारी लगातार हदीसे सुबूत है।

كَتَابَةُ الْإِجْمَاعِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْهُمْ  
الطَّامَةِ مِنَ الْبَيْتِ

① इमाम मोहकिक अलल इतलाक, “फ़तहुल कदीर शरहे हिदाया” में फ़रमाते हैं -----

अहले मैय्यत (मैय्यत के घर वालो) की तकरफ़ से खाने की दावत करना मना है के शरअ (शरीअत) ने दावत खूशी में रखी है न के गमी में और यह बहुत बुरी बिदअत है।

بِكْرَةُ إِتْمَادِ الْبَيْتِ مِنَ الطَّامَةِ مِنْ  
أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ شَرِعٌ فِي الشُّرُورِ لَا  
فِي الشُّرُورِ وَهِيَ بَدْعَةٌ مُسْتَبْعَةٌ

② इसी तरह अल्लामा हसन शुरूनुबलानी ने “मराकियुल फ़लाह” में फ़रमाया-----

“मैय्यत वालो का खाने की दावत करना मक़रूह है इस लिए के दावत खूशी में मशरू (शरीअत के मुताबिक) है न के गमी में और यह बुरी बिदअत है”

بِكْرَةُ الْبَيْتِ مِنَ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنَّهَا  
شَرِعَتْ فِي الشُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ وَهِيَ  
بَدْعَةٌ مُسْتَبْعَةٌ

③ से ⑧ तक :- “फ़तावा खुलासा” व “फ़तावा सिराजिया” व “फ़तावा ज़हीरिया” व “फ़तावा तातारखानिया” और “फ़तावा ज़हीरिया” से “खज़ानतुल मुफ़तीन क़िताबुल कराहिया” और “तातारखानिया से फ़तावा हिन्दीया” में मिले जुले अलफ़ाज़ से है -----

وَاللَّفْظُ السَّرَاحِيَّةُ

गमी में यह तीसरे दिन की दावत  
जाइज नहीं (खुलासे में इत्ना ज्यादा है)  
के दावत तो खूशी में होती है

لَا تَبَاحُ إِتْمَادُ الصِّيَافَةِ عِنْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  
فِي الْمَيْبَةِ - ( زاد في الخلاصة )  
لأن الصِّيَافَةَ تُتَّخَذُ عِنْدَ السُّرُورِ

⑨ "फ़तावा इमाम काजी खॉ" "किताबुल हज़रे वल एबाह में है -----

يَكْرَهُ إِتْمَادُ الصِّيَافَةِ فِي أَيَّامِ الْمَيْبَةِ لِأَنَّهَا أَيَّامٌ تَأْسَفُ فَلَا يَلِيَقُ بِهَا

مَا يَكُونُ لِشَرِّهِ ----- गमी में दावत मना है के यह अफ़सोस के

दिन है तो जो खूशी में होता है इन के लाएक नहीं"

⑩ "तबैय्यनुल हिक़्राएक़ इमाम जैली" में है -----

मुसीबत के लिए तीन दिन  
बैठने में कुछ हर्ज नहीं जब के किसी  
ऐसे काम को न किया जाए जो  
शरीअत में मना हो जैसे तकलीफ़दह  
काम, फ़र्श (गद्दे, सतरंजी वगैरा) बिछाने  
और मैय्यत की तरफ़ से खाने (वगैरा)

لَا تَأْسُ بِالْجُلُوسِ لِلْمَيْبَةِ إِلَى  
ثَلَاثٍ مِنْ غَيْرِ إِزْكَابٍ مَحْظُوبٍ  
مِنْ فَرَسِ الْبَسِطِ وَالْأَطْمَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيْبَةِ

⑪ इमाम बज़्जाज़ी "वजीज़" में फ़रमाते हैं -----

यानी मैय्यत के (बाद) पहले  
या तीसरे दिन या हफ़ता के बाद जो  
खाने तैयार कराए जाते हैं सब मक़रूह  
व मना है !

يَكْرَهُ إِتْمَادُ الْأَقَامِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ  
وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الْأَسْبُوعِ -

⑫ ⑬ अल्लामा शामी "रददुल मोहतार" में फ़रमाते हैं -----

यानी "मैराजुलदराया शरहे  
हिदाया" ने इस मस्अले में बहुत कुछ  
लिखा और फ़रमाया यह सब नामवरी  
और दिखावे के काम हैं इस से परहेज़  
किया जाए ।

أَمَّا ذَلِكَ فِي الْبَعْضِ أَيْ وَقَالَ  
هَذِهِ الْأَقْوَالُ مُكَلَّمَةٌ لِلسَّمْعَةِ وَالرِّيَالِ  
فَيَنْتَهَرُ عَنْهَا -

⑭ ⑮ "जामेऊल रुमूज़" अख़िरूल कराहिया में है -----

यानी तीन दिन या कम,  
तअज़ियत (पुरसा) लेने के लिए मस्जिद

يَكْرَهُ الْجُلُوسَ لِلْمَيْبَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  
أَوْ أَقَلَّ فِي السُّجْدِ وَيَكْرَهُ إِتْمَادُ

में बैठना मना है और उन दिनों में जियाफ्त (दावत) भी मना और उस का खाना भी मना जैसा के "खैरातिल फतावा" में साफ़ बयान किया गया है

(16) (17) और "फतावा अनकरावी"

और "वाकेआतुल मुफ़तीन" में है -----

तीन दिन दावत और उस का खाना मकरूह है के दावत तो खूशी में जाइज़ हुई है ।

(18) "कशफ़ुल गता" में है -----

मैय्यत वालो का तअज़ियत (पुरसा) करने वालो के लिए दावत करना और उन के लिए खाना पकाना मकरूह है तमाम रिवायात इस पर मुत्तफ़िक (हम ख़्याल) हैं इस लिए के उन लोगों को मुसीबत ज़दह होने की वजह से खाना तैयार करना दुश्वार (मुश्किल) है -----

उसी में (यानी "कशफ़ुल गता" में) है -----

तो यह जो रिवाज पड़ गया है के मुसीबत वाले (यानी मैय्यत के घर वाले) सुवम के दिन खाना पकाते हैं और तअज़ियत (पुरसा) करने वालो और दोस्तो को खिलाते हैं यह ना जाइज़ और ग़ैर शरई है । और "खजानतुल मुफ़तीन" में इस बारे में तफ़सील से है क्यों के यह इस वजह से ममनुअ (मना) है ।-----

कि दावत खूशी के वक्त जाइज़ है न के गमी के वक्त और यही वजह तमाम

الْعِيَاةِ فِي هَذِهِ الْاَيَّامِ وَكَذَا  
اَكْلَهَا كَمَا فِي تَحْيِيرَةِ الْفَتَاوَى

بَلَدُهُ اِتِّخَاذُ الْعِيَاةِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ  
وَاَكْلَهَا لِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ لِلتَّوْبَةِ

ضیافت نمودن اہل میت اہل تعزیت را  
دیکتن طعام برائے انہا مکروہ است  
باتفاق روایات، چہ ایشاں را بسبب  
اشتغال بصبیت استعداد تہیہ آن  
دشوار است -

پس آنچہ متعارف شد از بختن اہل صبیت  
طعام را در سوم و قسمت نمودن آن میان  
اہل تعزیت و اقربان غیر مباح و نامشروع  
است و تصریح کردہ بدان در خزائنہ  
شرعیہ ضیافت نزد سرور است نہ نزد شرور  
وہو المشہور عند الجموع

(उलमा) के नजदीक मशहूर है -----।

②

गलेबन वारिसों में कोई यतीम या और बच्चा ना बालिग होता है या और वारिस मौजूद नहीं होते न उन से इजाज़त ली जाती है जब तो यह काम सख्त हराम में शामिल होता है ।

अल्लाह—عَزَّوَجَلَّ—फ़रमाता हैं -----

**तरजमा :-** बेशक जो लोग यतीमों के माल ना हक खाते हैं बिलाशुबा वोह अपने पेट में अंगारे भरते हैं और करीब है के जहन्नम के गेहराओं में जाएंगे 1

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُمُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ  
ظُلْمًا إِنَّا يَا كُمُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

गैर के माल मे बगैर उस की इजाज़त के अपने इख्तियार में करना खूद ना जाइज़ है ।

अल्लाह रब्बुल इज़ज़त, फ़रमाता है---

**तरजमा :-** और आपस में एक दूसरे का माल ना हक न खाओ 2

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلَاحٍ

खासकर ना बालिग का माल बरबाद करना, जिस का इख्तियार न खूद उसे है, न उस के बाप, न उस के वसी 3 को **لَا لِلظَّالِمِ لَاقَةٌ** और अगर उन में कोई यतीम हुआ तो आफ़त सख्त तर है ।

وَالْعِيَادُ بِإِذْنِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

हाँ अगर मोहताजो के देने को खाना पक़वाएँ तो हर्ज नहीं बल्कि खूब (अच्छा) है - बशर्त येह के कोई आक्लि, (समझबुझ वाला) बालिग अपने माले खास से करे या तुरके (जाएदाद के हिस्से) से करे तो सब वारिस मौजूद हो व बालिग व राज़ी हो ।

① से ④ तक :- "खानिया" व "बज़ज़ाजिया" व "तातारखनिया" व "हिन्दया" में है -----

1 पारा 4 सूब्ह 12-सूर्य "निसा", 2 पारा 2 सूरए बकर,

3 ज़िम के बारे में मरने वाला वसीयत कर गया है ! फ़ास्क !

अगर गरीबों के लिए खाना तैयार किया तो अच्छा है जब के तमाम वारिस बालिग हो और अगर वारिसों में कोई बच्चा हो तो तुरके (जाएदाद) से खाना न तैयार कराए ।

إِنِ اتَّخَذَ طَٰمًا لِلْفَقْرِ كَاتٍ  
حَسًّا إِذْ أَكَمَتِ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْنِ  
ذَانِ كَاتٍ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرًا  
يَجْزِدُ وَذَلِكَ مِنَ التَّرَكَةِ.

⑤ और “फ़तावा काज़ी ख़ाँ” में हैं -----

अगर मैय्यत का वली (सरप्रस्त) मोहतजो के लिए कुछ खाना तैयार करे तो बेहतर है मगर यह के वारिसों में कोई ना बालिग हो तो तुरके (मैय्यत के छोड़े हुए माल) से ऐसा न करें ।

إِنِ اتَّخَذَ وَبِي اللَّيْتِ طَٰمًا لِلْفَقْرِ  
لَمَانَ حَسًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَرَثَةِ  
صَغِيرًا فَلَا يَجْزِدُ ذَلِكَ مِنَ التَّرَكَةِ

③

यह औरतें के जमा होती हैं नाजाइज़ काम करती है मसलन चिल्ला कर रोना, पीटना, बनावट से मुँह ठाँकना **إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ** और यह सब नियाहत (नोहा व मातम) है और मातम व नोहा हराम है ऐसे मजमे के लिए मैय्यत के अज़ीजो और दोस्तों को भी जाइज़ नहीं के खाना भेजे गुनाह की इप्दाद (मदद) होगी

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है ----

तरजमा :- “और गुनाह और **وَلَا تَمَٰدُوا عَلٰى الْاِلْتِمَادِ الْعُدَمٰةِ**  
ज्यादती पर बाहम मदद न दो ।”

न के अहले मैय्यत का खाने का इन्तेज़ाम करना के सिरे से ना जाइज़ है तो उस नाजाइज़ मजमे के लिए ज्यादा ना जाइज़ होगा ।

“कशफ़ुल गता” में है ----

दूसरे और तीसरे दिन मैय्यत वालो का खाना बनाना जब के नोहा (सेन्न फीटन्न) करने अल्लो का मजमा हो तो मकरूह है इस लिए के उन की

سَاتِحِينَ طَٰمًا فِي رُزْمَانِي وَمَاتٍ بَرَانِي  
الْبُرْمِيَّتِ الْكُرْمِيَّتِ الْكُرْمِيَّتِ الْكُرْمِيَّتِ  
بِرْكَاعَاتِ اِشْتِاٰنِ مَا بَرَكْنَا هـ

गुनाह पर मदद करना है ।

4

अक्सर लोगों को इस बुरी रस्म की वजह से अपनी ताकत से ज्यादा दावत करनी पड़ती है । यहाँ तक कि मैय्यत वाले बेचारे अपने गम को भूल कर इस आफ़त में मुबेला (फंसे) होते हैं के इस मेले के लिए खाना, पान, छालिया कहाँ से लाएँ और कई बार ज़रूरत कर्ज़ लेने की पड़ती है । ऐसा तकल्लुफ़ शरीअत को किसी मुबाह काम (जिस के करने से न गुनाह हो न सवाब उस) के लिए भी बिल्कुल पसंद नहीं न के एक ममनुअ (मना की हुई) रस्म के लिए । फिर इस की वजह से जो दिक्कते पड़ती है खूद जाहिर है फिर अगर सूद पर कर्ज़ लिया तो खालिस हराम हो गया और मआज़ल्लाह लअनते ईलाही से पूरा हिस्सा मिला के बे ज़रूरते शरईया सूद देना भी सूद लेने की तरह लअनत का सबब है जैसा के सही हदीसों में फ़रमाया (गया है)

गर्ज़ इस रस्म के बुरे व मना होने में शक़ नहीं-अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मुसलमानों को तौफ़ीक़ बख़्शे के बिल्कुल ऐसी बुरी रस्में जिन से उन के दीन व दुनिया का नुकसान हैं तर्क करदें (छोड़ दें) और (लोगों के) बेहुदह तअनो का लिहाज़ न करें (अल्लाह हिदायत फरमाए) **وَأَسْرَأِبَادِي** -

**तमबीह** (नसीहत) :- गरचा सिर्फ़ एक दिन यानी पहले ही रोज़ अजीजों पड़ोसियों को बेहतर हैं कि मैय्यत के घर वालों के लिए खाना पक़वा कर भेजे जिसे वोह दो वक़्त खा सकें । और — इसरार करके उन्हें खिलाए मगर येह खाना सिर्फ़ मैय्यत के घर वालों ही के काबिल होना सुन्नत है इस मेले के लिये भेजने का हर्गिज़ हुक्म नहीं, और उन के (यानी मैय्यत के घर वालों) के लिए भी सिर्फ़ एक रोज़ (खाना भेजने) का हुक्म है आगे नहीं ।

“कशफ़ुल गता” में है - - -

मुस्तहब (अच्छा) है के मैय्यत के करीबी और पड़ोसी लोग खाना खिलाएँ जो के उन्हें एक दिन रात के लिए काफ़ी हो और कोशिश करके उन को खिलाएँ और मैय्यत के घर वालों के अलावा

مستحب است خویشان و همسایگان  
میت راکر اطعام کنند طعام را برائے اہل دے کہ  
سیر کنند ایشان را یک شبانہ روز و اکاح  
کنند تا بخورند و در خوردن غیر اہل میت این طعام



दूसरो को येह खाना मकरूह है ।

“आलमगीरी” में है -----

अहले मुसीबत (मैय्यत वालों) की तरफ़ खाना ले जाना और उन के साथ मिल कर खाना पहले दिन जाइज़ है । उन के कफ़न दफ़न के कामों में मशगूल हाने के सबब, और उस के बाद मकरूह है इसी तरह तातारखनिया में है ।

راشبهه أنت که کرده است ام؛ لخصاً

حَمَلُ الطَّعَامِ إِلَى صَاحِبِ الْمَيْتَةِ  
وَأَلَاكُلُ مَعَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ  
جَائِزٌ تَشْفِيهِ بِالْجَهَائِزِ وَتَبَدُّةٍ  
بِكُرَّةٍ كَذَلِكَ فِي التَّأْرِيحَاتِ

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ جَلِيلٌ كَمَا أَنَّمَا حُكِمَ

मुहम्मदी सुन्नी हनफ़ी कादरी

अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा खाँ

کتبہ المدینہ (مکتبہ المدینہ) دارالعلوم دیوبند

## मरअला

मैय्यत के घर का खाना जो मैय्यत के घर वाले बतौर मेहमानी के पकाते हैं और सुवम के लिए बताशों का लेना कैसा है ?

## अलजवाब

मैय्यत के घर का वोह खाना तो अलबत्ता बेशक ना जाइज़ है जैसा के फ़कीर ने अपने फ़तवे मे तफ़सील से बयान किया । और सुवम के चने, बताशे के मेहमानी की गरज़ से नही मँगाए जाते बल्कि सवाब पहुँचाने के मकसद से होते हैं येह इस हुकम में दाखिल नही न मेरे उस फ़तवे में इन की निस्बत (बारे में) कुछ ज़िक्र है । येह अगर मालिक ने सिर्फ़ मोहताजो को देने के लिए मँगाए और यही उस की नियत है तो गनी (जो मोहताज न हो उस) को उन का भी लेना ना जाइज़ । और अगर उसने आम हाज़रीन पर तकसीम (बँटने) के लिए मँगाए हैं तो अगर गनी (रूपये पैसे वाला) भी ले लेगा तो गुनाहगार न होगा ।

और यहाँ (यानी हिन्दुस्तान में) आम तौर पर रिवाज यह है कि आम हाजरीन के लिए मंगाए जाते हैं इस लिए हुक्म येही है के वोह खास—

मोहताजो के लिये नहीं होते तो गनी को भी लेना नाजाइज़ नहीं । अगरचा बचना ज्यादा पसंदीदा (है) और इसी पर हमेशा से इस फ़कीर का अमल है  
(फतावा-ए-रिज़वीया, जिल्द 4 सफा नं. 138) **وَأَشْرَعَالِي الْعِلْمِ**

## मरअला

अज़ :- बनारस थाना भेलूपुरा मोहल्ला अहाता रूहीला, मुरसिला हाफ़िज़ अब्दुल रहमान  
रफूगर - 28 मुर्दरम 1332

हज़रत की खिदमत में अर्ज़ है कि बुजुर्गों के मज़ार जाएँ तो फ़ातेहा किस तरह पढ़ा करें और फ़ातेहा में कौन कौन चीज़ें पढ़ा करें ।

## अलजवाब

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مُحَمَّدٌ وَنَفْسِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ**

हाफ़िज़ साहब, करम फ़रमा सल्लमाकुम -----

मज़ारते शरीफ़ा (बुजुर्गों की मज़ार) पर हाज़िर होने में पाएँती की तरफ़ से जाए और कम अज़ कम चार हाथ के फ़ासले पर मुवाजहे (मज़ार के सामने) में खड़ा हो और आहिस्ता आवाज़ से बअदब सलाम अर्ज़ करे **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ** फिर दुरूदे गौसिया तीन बार, (अलहमद शरीफ) एक बार, आयतल कुर्सी एक बार, सूरए इख़्लास सात बार, फिर दुरूदे गौसिया सात बार और वक़्त फ़ुरसत दे तो सूरए यासीन और सूरए मुल्क भी पढ़ कर अल्लाह अज़्ज व जल्लाह से दुआ करे के इलाही इस पढ़ने पर इत्ला सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है न के इत्ला जो मेरे अमल के काबिल है और इसे मेरी तरफ़ से इस बन्दाए मकबूल को नज़्र पहुँचा फिर अपना जो मतलब जाइज़ शरई हो उस के लिए दुआ करे और साहिबे मज़ार की रूह को अल्लाह अज़्ज व जल्ला की बारगाह में अपना वसीला करार दे, फिर उसी तरह सलाम कर के वापस आए -----मज़ार को न हाथ लगाए ---- न बोसा— दे (यानी मज़ार को न चूमे) ----और तवाफ़ बिल इत्तेफाक (यानी

तमाम बुजुर्गो व अल्लमा के नजदीक) ना जाइज है ----- और सजदा (चाहे तअजीम की नियत से ही क्यों न हो) हराम है । **وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ**

## मैय्यत के फ़ायदे के चन्द काम

इस किताब में आला हज़रत ने दलाएल से साबित कर दिया के मैय्यत के लिए खाना पकाना और यह धूम धाम से दावत करना बे फ़ुज़ूल और ना जाइज व पैसो की बरबादी है और इस से मैय्यत को बिल्कुल कोई सवाब नहीं पहुँचता । मुमकिन है आप के ज़हेन में यह बात आई हो कि अब हम आखिर अपने मुर्दों के लिए इस के अलावा क्या कर सकते हैं और उन्हें किस तरह एसाले सवाब पहुँचाए -----

लिहाज़ा हम यहाँ अक्वाम की आसानी के लिए चन्द ऐसे तरीके बयान करते हैं जो इस दुनिया से जाने वाले मुसलमानों के लिए तोहफ़ए आखेरत ही नहीं बल्कि दीने इसलाम की तबलीग और इस्लामी अहकाम की अशाअत का भी बेहतरीन ज़रिया और सदकाए जारिया है -----

- 1) किसी दीनी मदरसे में एसाले सवाब की नियत से कुछ रकम दे दें ।
- 2) किसी दीनी गरीब तालिबे इल्म की इमदाद करे जैसे उस के खाने, कपड़े और किताबों का इन्तेज़ाम कर दें ।
- 3) दीनी किताब छपवा कर मुफ़्त तकसीम करे जिस से मआशरे की इस्लाह हो
- 4) किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दें ।
- 5) किसी गरीब बेवाह की माली इमदाद करें ।
- 6) उलमा-ए-दीन की तकारीर करवाते रहे ।
- 7) किसी मस्जिद, मदरसे की तामीर में हिस्सा ले कर ।
- 8) जिस जगह पानी की किल्लत हो वहाँ कुआ या बोरवेल खुदवा कर ।
- 9) मस्जिद की ज़रूरतों को पूरा करके ।
- 10) नमाज़ रोज़ा व नफ़िल इबादात का सवाब अपने मुर्दों को नज़्ज करते रहें
- 11) और अगर खाना ही पकाना है तो उसे सिर्फ़ गरीबों मोहताजों को ही खिलाएँ ।

इन तमाम तरीकों में से किसी भी तरीके पर अमल कर के इस का सवाब अपने मरहूमिन को पहुँचा सकते हैं ।

या रसूल ल्लाहि या नबी ल्लाह या हदीय ल्लाह या नूर ल्लाह या रसूल ल्लाह या नबी अल्लाह

## दुआए रजा

अज :- आला हजरत इमाम अहमद रजा रदीअल्लाहो तआला अन्हो

या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो

जब पड़े मुशकिल शहे मुशकिल कुशा का साथ ही

या इलाही भूल जाऊँ नज़अ की तकलीफ़ को  
शादीए दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो

या इलाही जब ज़बान बाहर आयें प्यास से  
साहेबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो

या इलाही गरमीए मैहशर से जब भड़के बदन  
दामने महबूब की ठण्डी हवा का साथ हो

या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे  
ग़ैब पोशे खल्के सन्तारे ख़ता का साथ हो

या इलाही जब बहे आँख़े हिसाबे जुर्म में  
उन तबस्मुम रेज़ हों की टथा का साथ हो

या इलाही रंग लाये जब मेरी बेबाकियों  
उन की नीची नीची नज़रो की हया का साथ हो

या इलाही जब चलू तारीक राहे पूलसिरात  
आफ़ताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो

या इलाही जब सरे शम्शीर पर चलना पड़े  
रब्बे सल्लीम कहने वाले गम जुदा का साथ हो

या इलाही जो दुआएं नेक मैं तुझ से करूँ  
कुदसीर्यों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो

या इलाही जब रज़ा ख़्वाबे ग़िरों से सर उठायें  
दौलते बेदारें इश्के मुस्तफ़ा का साथ हो

मुजद्दिदे अअज़म इमामे अहले सुन्नत, अअला हज़रत  
इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमा  
का तर्जमए कुरआन

# कंज़ुल ईमान

और

## हज्ज व ज़ियारत

हिन्दी में शायी होकर मंज़रे आम पर आ चुका है।

नाशिर : रज़ा एकेडमी

२६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-३. फोन नं.: ३७३७६८१-३७०२२९६

मिलने का पता : फ़ारुक़िया बुक डिपो

४२२, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, दिल्ली - ६ फ़ोन - ३२६६०५३

रज़ा एकेडमी मुंबई की शायी शुदा क़िताबें मंगाने  
के लिए हमें लिखें

**फ़ारुक़िया बुक डिपो**

४२२, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, दिल्ली - ६

फ़ोन - ३२६६०५३